

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी संजु गीणा)

आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 68/2019

1. हरजी पुत्र श्रीराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी सवाईपुरा ग्राम पंचायत पडांगा तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित पक्षकार:- श्री महावीर गुर्जर (अधिवक्ता प्रार्थी)
पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 10.09.2020

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है कि मौजा सवाईपुरा पटवार क्षेत्र पडांगा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगावल तहसील भिनाय जिला अजमेर स्थित आराजी खाता सं. नया 108 पुराना 107 में दर्ज आराजी खसरा नं. 154 रकबा 0.06, खाता सं. नया 107 पुराना 108 में दर्ज आराजी खसरा सं. 664 रकबा 0.90, 665 रकबा 0.19, 718 रकबा 0.13, 845 रकबा 0.39, 846 रकबा 0.22, 847 रकबा 0.12, 848 रकबा 0.29, 849 रकबा 0.38, 850 रकबा 0.65, 851 रकबा 0.53, 852 रकबा 0.10, 853 रकबा 0.10, 854 रकबा 0.26 किता 13 रकबा 4.30 हैं 0 भूमि प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी की वल्लियत श्रीराम के स्थान पर हरिराम एवं हरराम अंकित है। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थी की वल्लियत सही दर्ज कराकर अभिलेख सही करवाया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली दर्ज कर तहसीलदार भिनाय को तलब किया गया। पैरोकार सरकार ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र मय मौका पर्चा प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा वांछित दुरुस्ती उचित होना स्वीकार किया। प्रकरण के सन्दर्भ में प्रार्थी अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात यथा जवाब पैरोकार सरकार, भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवार हल्का पडांगा द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत पडांगा द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक, ग्राम पंचायत पडांगा द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ग्राम सवाईपुरा स्थित अन्य खातेदारी भूमि की राजस्व जमाबंदी खाता सं. 129 का गहनता से अध्ययन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भिनाय को यह आदेश दिए जाते हैं कि मौजा सवाईपुरा की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता सं. नया 108 पुराना 107 में दर्ज आराजी खसरा नं. 154 रकबा 0.06 हैं 0 भूमि में दर्ज हरजी पुत्र हरिराम व खाता सं. नया 107 पुराना 108 में दर्ज आराजी खसरा सं. 664 रकबा 0.90, 665 रकबा 0.19, 718 रकबा 0.13, 845 रकबा 0.39, 846 रकबा 0.22, 847 रकबा 0.12, 848 रकबा 0.




उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

29, 849 रकबा 0.38, 850 रकबा 0.65, 851 रकबा 0.53, 852 रकबा 0.10, 853 रकबा 0.10, 854 रकबा 0.26 किता 13 रकबा 4.30 हैं० भूमि में दर्ज हरजी पुत्र हरराम के स्थान पर हरजी पुत्र श्रीराम जाति गुर्जर दुरुस्त किए जाने आदेश पारित किए जाते हैं एवं तहसीलदार भिनाय को आदेश दिए जाते हैं कि राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही की जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 10.09.2020 को सुनाया गया।




(संजु मीणा)
रूपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)